

२१^{०५}


आज फावली पत्र ही घरी आले आहे.
प्रमाणे पत्र पत्रातून मूल वाट आले आहे व
आपले पत्र ही फावली घेण्याची आहे. पत्रातून
आपले पत्र प्राप्त. ते लगेच मूल वाट आहे.

रजिस्ट्रार अधिकारी
विजारा (अलवर) राज्या

From No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जंगीर बनाम प्रतापसिंह वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र -212 संख्या 121 वर्ष 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
09.09.2020	<p>आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 30.09.2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 383/0.14 है 0 वाके ग्राम नबीनगर प्रार्थी की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत एवं कच्चा-पक्का निर्माण कार्य न करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे ? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो 0 रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(अलवर)

3/12/21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभिलेख-2021
 केस कोर्ट में पेशायात मुख्यालय 09.09.20
 पेशा हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित
 वाद के कारण का विस्तारण नहीं हो सका।
 अतः पत्रावली पूर्व नियम कार्यवाही हेतु दिनांक
 09.12.21 को न्यायालय हाजा में पेश हो।

08/02

शिविर प्रभारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर, तिजारा (अलवर)


उपखण्ड आ

... अलवर (राजस्थान) में स्थित है। वास्ते
 मुलाहिजा फोटोप्रति जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 संलग्न प्रार्थना पत्र है।